

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:- 88/2023

तारीख रजू 13.10.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

भोमपाल मीना पुत्र श्री मोती लाल मीना (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) निवासी पीपलवाडा, पोस्ट खिजूरी, सवाई माधोपुर मैसर्स कलपतरू स्वीट्स, टॉक बस स्टेण्ड, बजरिया, सवाई माधोपुर।

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णय:-

दिनांक 20.03.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.05.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर रेलवे स्टेशन, सवाई माधोपुर के बाहर स्थित सड़क पर पहुंचा। सड़क पर विभिन्न संस्थानों का मावा अलग-अलग ढेहरियों में रखा था। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु 4 टोकरी मावे की मैसर्स कलपतरू स्वीट्स टॉक बस स्टेण्ड बजरिया, सवाई माधोपुर को परिवहन कर ले जाना है। टोकरी में मावा होना बताया एक टोकरी को खुलवाया सूती टाट को खोलने के पश्चात अन्दर प्लास्टिक की थैली में मावा लगभग 30 किलोग्राम रखा था। उक्त मावा में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 किलोग्राम मावा खरीदकर उनकी कीमत 240/- रुपये विक्रेता श्री भोमपाल मीना को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को साफ सूखे एवं खाली थैली में तुलवाकर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर फारमर्लिन की 20-20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाइट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2856 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2856 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर



न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री भोमपाल मीना ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री भोमपाल मीना को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/835 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1827/एक्ट/2023/1837 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of FSSA Act. 2006 प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त द्वारा बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 03.05.2023 को प्रार्थी से मावा का सेम्पल लिया गया था उक्त सेम्पल सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) प्रवृत्ति का पाया गया है। प्रार्थी द्वारा विक्रय किया गया मावा मिल्क फेट कम होने से सबस्टेण्डर्ड आया है। प्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1827/एक्ट/2023/1837 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) प्रवृत्ति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में अपनी गलती मानकर न्यूनतम शास्ति राशि लगाने का निवेदन किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/- रुपये (अक्षरे: पच्चीस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर